



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)(बी) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा निम्नानुसार 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किया गया है। :-

1. संस्था का विवरण, कार्य एवं कर्तव्य :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-6 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च, 2002 को किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा-7(1) के अनुसार राज्य प्राधिकरण केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन के दायित्व का निर्वाहन करता है एवं धारा 7(2) के अनुसार :-

- अ. अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवा व निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करती है।
- ब. लोक अदालतों का संचालन करती है।
- स. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करती है।
- द. केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श, विनियमों द्वारा नियत कृत्यों का पालन करती है।

2. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य :-

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यालय प्रमुख के रूप में सदस्य-सचिव जो उच्चतर न्यायिक सेवा का जिला जज चयन वेतनमान स्तर का अधिकारी होता है और जिसकी नियुक्ति माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार शासन द्वारा की जाती है, पदस्थ होता है और जिसके द्वारा प्राधिकरण की शक्तियों का निर्वाहन प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष (विभागाध्यक्ष) जो कि उच्च न्यायालय के सेवारत वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उनके सामान्य

नियंत्रण में किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियां कार्यपालक अध्यक्ष में निहित होती हैं। संस्था के सुचारु संचालन के लिए संस्था में शासन द्वारा निर्धारित अन्य अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3. कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेशों, निर्देशिका और अभिलेख :-

प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वाहन एवं कार्य संपादन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (कार्य संचालन एवं अन्य उपबन्ध) विनियमावली, 2006 एवं केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों, निर्देशों के अनुसार किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों का संकलन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा-9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

4. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियमावली-2006 के नियम-4 के अनुसार राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शों पर बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

5. उपलब्ध दस्तावेजों का विवरण :-

राज्य प्राधिकरण नियम, विनियम तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का संग्रह अभिलेख रखती है और कर्मचारियों द्वारा इन्हीं का उपयोग कर कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण में विधिक योजना से सम्बन्धित सांख्यिकी जानकारी एवं शासन तथा केन्द्रीय प्राधिकरण से समय-समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं अनुदान राशि का आय व्यय विवरण पत्रक अभिलेख के रूप में संधारित किया जाता है।

6. बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का विवरण :-

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं धारा-9 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा धारा-11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है जो कि राज्य

प्राधिकरण के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता केन्द्रों व सुलह समझौता केन्द्रों का गठन भी सभी जनपद न्यायालय परिसर में किया गया है।

7. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम :-

राज्य प्राधिकरण में पदस्थ सदस्य-सचिव श्री प्रदीप कुमार मणि, विभागीय अपीलीय अधिकारी (दूरभाष संख्या : 05942-236762) एवं प्रशासनिक अधिकारी श्री रमाकान्त चौधरी, लोक सूचना अधिकारी (दूरभाष संख्या: 05942-236552, मोबाइल नम्बर: 9412059006) पदाभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (एस0डी0), अपीलीय अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

इसी क्रम में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल में अपीलीय अधिकारी, सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, अपीलीय अधिकारी एवं मुन्सरिम, लोक सूचना अधिकारी पदाभिहीत किये गये हैं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया :-

राज्य प्राधिकरण की बैठक माननीय मुख्य संरक्षक/मुख्य न्यायाधीश या माननीय कार्यपालक अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियत तिथि एवं समय में बुलाई जाती है एवं बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुझावों एवं परामर्शोपरांत बैठक में ही नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। तत्पश्चात जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

8. अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्टरी:-

मा0 मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड/मुख्य संरक्षक, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
मा0 वरिष्ठ न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड / मा0 कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।	
सदस्य-सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942-236762 (Office) 05942-236552 (Telefax) 06397344127 (Mobile)
विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942-236514 (Office) 05942-236552 (Telefax) 09411102046 (Mobile)
प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	05942-236552 (Telefax) 09412059006 (Mobile)

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गणमान्य सदस्य	
क्र०सं०	पदनाम
1	मा० मुख्य न्यायमूर्ति/मुख्य संरक्षक
2	मा० वरिष्ठ न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष
3	मा० अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल
4	महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड सरकार
5	महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
6	प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
7	प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
8	प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
9	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून
10	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद (बार काउन्सिल)
11	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग, देहरादून
12	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग, देहरादून
13	पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड
14	सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
15	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून
16	जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर
17	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून
18	श्री महेश चन्द्र काण्डपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
19	डॉ० पी०सी० जोशी, विधि प्रोफेसर (से०नि०)/भूतपूर्व विभागाध्यक्ष, विधि संकाय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा
20	प्रोफेसर (डॉ०) राजेश बहुगुणा, प्रो वाइस चांसलर, उत्तरांचल विश्वविद्यालय तथा डीन, लॉ कॉलेज, देहरादून
21	सुश्री प्रभा रावत, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सिरोली, पोस्ट मण्डल, चमोली, उत्तराखण्ड
22	सुश्री नीलिमा भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, ईश्वरी भवन, वेस्ट पोखरीखाली, रानीधारा रोड, अल्मोड़ा

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची		
क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री प्रदीप कुमार मणि (एच0जे0एस0)	सदस्य-सचिव
2.	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सिविल जज (एस0डी0)	विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक
13.	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक
14.	श्री हेमन्त कुमार	वाहन चालक
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
21.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	आशुलिपिक
22.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	आशुलिपिक
23.	कु0 रश्मि (आउटसोर्स कार्मिक)	कनिष्ठ सहायक
24.	श्री लोकेश कुमार (आउटसोर्स कार्मिक)	वाहन चालक
25.	श्री कमल आर्या (उपनल के माध्यम से संविदा पर)	अनुसेवक
26.	श्री गुड्डू लाल (आउटसोर्स कार्मिक)	अनुसेवक
27.	श्री आनन्द शर्मा (आउटसोर्स कार्मिक)	अनुसेवक
28.	श्री आशुतोष पाण्डेय, ए0डी0आर0 केन्द्र, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल	कनिष्ठ सहायक
29.	श्री दीपक सिंह (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	अनुसेवक
30.	श्री रमेश राम (उपनल के माध्यम से संविदा पर) ए0डी0आर0 केन्द्र	माली
31.	श्री दयाल राम, चौकीदार (आउटसोर्स कार्मिक) ए0डी0आर0 केन्द्र	चौकीदार
32.	सुश्री संगीता आर्या (आउटसोर्स कार्मिक) ए0डी0आर0 केन्द्र	सफाई कर्मचारी/हाउसकीपिंग
33.	श्री ललित कुमार (नियत मजदूरी पर)	पर्यावरण मित्र

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त वेतन/पारिश्रमिक का विवरण निम्न प्रकार है।
(दिनांक 31 मई, 2024 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वेतनमान	कुल वेतन
1.	श्री प्रदीप कुमार मणि	सदस्य-सचिव	144840-194660 (J 5)	316065
2.	श्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी/ उप सचिव	111000-163030 (J 3)	256806
3.	श्री रमाकान्त चौधरी	प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100 (लेवल-08)	114800
4.	श्री सयेन्द्र सिंह रावत	निजी सचिव	44900-142400 (लेवल-07)	99480
5.	श्री उमेश चन्द्र मिश्र	वैयक्तिक सहायक	44900-142400 (लेवल-07)	97110
6.	श्री रवि कुमार	वैयक्तिक सहायक	35400-112400 (लेवल-06)	80620
7.	श्री चेतन सिंह	प्रधान सहायक	44900-142400 (लेवल-07)	86020
8.	श्री विनीत कुमार	प्रधान सहायक	35400-112400 (लेवल-06)	66515
9.	श्री ललित बिष्ट	वरिष्ठ सहायक	29200-92300 (लेवल-06)	64125
10.	श्री त्रियुगी नारायण	वरिष्ठ सहायक	29200-92300 (लेवल-06)	68375
11.	श्री रवीश कुमार	वरिष्ठ सहायक	29200-92300 (लेवल-06)	68375
12.	श्री रमन सिंह पंवार	कनिष्ठ सहायक	29200-92300 (लेवल-06)	68655
13.	श्री हरेश नाथ	वाहन चालक	44900-142400 (लेवल-07)	74570
14.	श्री हेमन्त कुमार	वाहन चालक	29200-92300 (लेवल-05)	61270
15.	श्री जगत सिंह	दफ्तरी/मशीन ऑपरेटर	29200-92300 (लेवल-05)	59425
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह सलाल	अनुसेवक	21700-69100 (लेवल-03)	56435
17.	श्री बचन सिंह	अनुसेवक	21700-69100 (लेवल-03)	57745
18.	श्री विजय राज पासी	अनुसेवक	21700-69100 (लेवल-03)	59075
19.	श्री विनोद सिंह (उपनल कार्मिक)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	—	23389
20.	श्री दीपक सिंह कपकोटी (उपनल कार्मिक)	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	—	22209
21.	श्री गोकुल सिंह बुंगला (उपनल कार्मिक)	आशुलिपिक	—	23389
22.	श्री दया किशन खोलिया (उपनल कार्मिक)	आशुलिपिक	—	23389
23.	कु० रश्मि (आउटसोर्स)	कनिष्ठ सहायक	—	23010
24.	श्री लोकेश कुमार (आउटसोर्स)	वाहन चालक	—	21240
25.	श्री कमल आर्या (उपनल कार्मिक)	अनुसेवक	—	19624
26.	श्री गुड्डू लाल (आउटसोर्स)	अनुसेवक	—	19049
27.	श्री आनन्द शर्मा (आउटसोर्स)	अनुसेवक	—	19049
28.	श्री आशुतोष पाण्डेय, ए०डी०आर० केन्द्र, मा० उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल	कनिष्ठ सहायक	21700-69100 (लेवल-03)	37570
29.	श्री दीपक सिंह (उपनल कार्मिक) ए०डी०आर० केन्द्र	अनुसेवक	—	18591
30.	श्री रमेश राम (उपनल कार्मिक) ए०डी०आर० केन्द्र	माली	—	18591
31.	श्री दयाल राम (आउटसोर्स) ए०डी०आर० केन्द्र	चौकीदार	—	19049

32.	सुश्री संगीता आर्या (आउटसोर्स)	सफाई कर्मचारी / हाउसकीपिंग	—	19049
33.	श्री ललित कुमार (नियत मजदूरी पर)	पर्यावरण मित्र	—	12391

10. बजट का प्रावधान :-

अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धनराशि दो स्रोतों, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एवं राज्य बजट जो कि राज्य सरकार से प्राप्त होता है, तत्पश्चात उक्त धनराशि का उपयोजन विधिक सेवा अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्रदान करने, लोक अदालतों का संचालन करने, विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि में किया जाता है एवं उक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त लेखे एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाता है।

11. अनुदान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की तिथि :-

विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन गैर शासकीय संगठनों के द्वारा किये जाने पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन के अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है।

12. छूट, आज़ाप्ति तथा अधिकार पत्र किसी को भी संस्था द्वारा जारी नहीं किया गया है।

13. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम-1987 की धारा 8(ए) के अन्तर्गत गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, धारा-9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धारा 11(ए) के अन्तर्गत गठित तहसील विधिक सेवा समिति तथा अन्य शासकीय संगठन एवं गैरशासकीय सामाजिक संगठनों के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों का सम्पादन किया जाता है।

14. इलेक्ट्रानिक फार्म में उपलब्ध सूचना :-

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा योजना से सम्बन्धित सांख्यिकी जानकारी इलेक्ट्रानिक फार्म में कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं।

15. जनउपयोग एवं सूचना प्राप्ति हेतु कार्यालय में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है।

16. अन्य उपयोगी जानकारी जो विहित की जावे :-

राज्य प्राधिकरण के क्रियाकलापों की जनसामान्य जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट <https://uttarakhand.nalsa.gov.in> तथा कार्यालय के टॉल फ्री नं: 1800 180 4000 से प्राप्त की जा सकती है।

ह0/-

सदस्य-सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मा0 उच्च न्यायालय परिसर,

नैनीताल।

दिनांक : 30 सितम्बर, 2025

ई-मेल: slsa-uk@nic.in एवं ukslsanainital@gmail.com

कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (आय-व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 - न्याय प्रशासन - 00 - आयोजनेत्तर - 800 - अन्य व्यय - 05 - उत्तराखण्ड, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।

क्र०सं०	शीर्षक/मानक मद	कुल प्राविधानित धनराशि	शासन स्तर द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि	कुल व्ययित धनराशि	समर्पित धनराशि	बजट समर्पण आई०डी०
1.	01-वेतन	1,81,00,000 / -	1,81,00,000 / -	1,33,09,744 / -	47,90,256 / -	आवंटन आई.डी.- HS25030040004 दिनांक: 28.03.2025
2.	02-मजदूरी	5,00,000 / -	5,00,000 / -	1,70,322 / -	3,29,678 / -	
3.	03-महंगाई भत्ता	1,01,36,000 / -	1,01,36,000 / -	68,54,672 / -	32,81,328 / -	
4.	04-यात्रा व्यय	20,00,000 / -	20,00,000 / -	5,84,413 / -	14,15,587 / -	
5.	06-अन्य भत्ते	45,25,000 / -	45,25,000 / -	18,13,629 / -	27,11,371 / -	
6.	07-मानदेय	50,000 / -	50,000 / -	-	50,000 / -	
7.	08-पारिश्रमिक	35,00,000 / -	35,00,000 / -	30,16,133 / -	4,83,867 / -	
8.	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,000 / -	50,000 / -	-	50,000 / -	
9.	10-प्रशिक्षण व्यय	5,00,000 / -	5,00,000 / -	4,89,924 / -	10,076 / -	
10.	11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	10,00,000 / -	10,00,000 / -	9,01,424 / -	98,576 / -	
11.	13- उपाजित अवकाश नकदीकरण	1,000 / -	-	-	-	
12.	20-लेखन सामग्री एवं छपायी	4,50,000 / -	4,50,000 / -	1,97,624 / -	2,52,376 / -	
13.	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 / -	3,00,000 / -	2,65,985 / -	34,015 / -	
14.	22-कार्यालय व्यय	6,00,000 / -	6,00,000 / -	3,23,753 / -	2,76,247 / -	
15.	23-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	5,00,000 / -	5,00,000 / -	952 / -	4,99,048 / -	
16.	24-विज्ञापन दिक्की एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	5,00,000 / -	5,00,000 / -	74,083 / -	4,25,917 / -	
17.	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	5,00,000 / -	5,00,000 / -	2,84,551 / -	2,15,449 / -	
18.	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	7,00,000 / -	7,00,000 / -	4,72,041 / -	2,27,959 / -	
19.	27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9,00,000 / -	9,00,000 / -	8,20,000 / -	80,000 / -	
20.	28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	1,000 / -	-	-	-	
21.	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	10,00,000 / -	10,00,000 / -	5,76,336 / -	4,23,664 / -	
22.	30-आतिथ्य व्यय	1,00,000 / -	1,00,000 / -	50,438 / -	49,562 / -	
23.	42- अन्य विभागीय व्यय	1,00,000 / -	1,00,000 / -	-	1,00,000 / -	
24.	51-अनुरक्षण	5,00,000 / -	5,00,000 / -	1,97,000 / -	3,03,000 / -	
25.	52-लघु निर्माण	2,50,000 / -	2,50,000 / -	-	2,50,000 / -	
	कुल योग:	₹ 4,67,63,000 / -	₹ 4,67,61,000 / -	₹ 3,04,03,024 / -	₹ 1,63,57,976 / -	

तैयारकर्ता:-

Lalit Bishu
 ललित बिष्ट
 वरिष्ठ सहायक, लेखा अनुभाग

जॉचकर्ता:-

Vineet Kumar
 विनीत कुमार
 प्रधान सहायक, लेखा अनुभाग



कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (आय-व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 - न्याय प्रशासन - 00 - आयोजनेत्तर - 800 - अन्य व्यय - 06 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल।

क्र०सं०	शीर्षक/मानक मद	कुल प्राविधानित धनराशि	शासन स्तर द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि	कुल व्ययित धनराशि	समर्पित धनराशि	बजट समर्पण आई०डी०
1.	01-वैतन	5,53,00,000 / -	5,53,00,000 / -	3,25,19,660 / -	2,27,80,340 / -	आवंटन आई.डी.- HS25030040005 दिनांक: 28.03.2025
2.	02-मजदूरी	2,00,000 / -	2,00,000 / -	-	2,00,000 / -	
3.	03-महंगाई भत्ता	3,09,68,000 / -	3,09,68,000 / -	1,70,98,567 / -	1,38,69,433 / -	
4.	04-यात्रा व्यय	20,00,000 / -	20,00,000 / -	13,95,625 / -	6,04,375 / -	
5.	06-अन्य भत्ते	1,38,25,000 / -	1,38,25,000 / -	1,18,21,885 / -	20,03,115 / -	
6.	07-मानदेय	1,00,000 / -	1,00,000 / -	-	1,00,000 / -	
7.	08-पारिश्रमिक	2,00,00,000 / -	2,00,00,000 / -	1,55,99,736 / -	44,00,264 / -	
8.	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	5,00,000 / -	5,00,000 / -	-	5,00,000 / -	
9.	10-प्रशिक्षण व्यय	2,00,000 / -	2,00,000 / -	2,672 / -	1,97,328 / -	
10.	11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	40,00,000 / -	40,00,000 / -	17,23,757 / -	22,76,243 / -	
11.	13- उपार्जित अवकाश नुकदीकरण	1,000 / -	-	-	-	
12.	20-लेखन सामग्री एवं छपायी	6,00,000 / -	6,00,000 / -	5,16,363 / -	83,637 / -	
13.	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25,00,000 / -	25,00,000 / -	14,27,762 / -	10,72,238 / -	
14.	22-कार्यालय व्यय	5,00,000 / -	5,00,000 / -	3,75,068 / -	1,24,932 / -	
15.	23-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	6,00,000 / -	6,00,000 / -	3,31,060 / -	2,68,940 / -	
16.	24-विज्ञापन दिक्री एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	2,00,000 / -	2,00,000 / -	69,078 / -	1,30,922 / -	
17.	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	15,00,000 / -	15,00,000 / -	3,25,109 / -	11,74,891 / -	
18.	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	6,00,000 / -	6,00,000 / -	3,18,051 / -	2,81,949 / -	
19.	27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 / -	2,00,000 / -	52,225 / -	1,47,775 / -	
20.	28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	90,00,000 / -	88,00,000 / -	87,15,000 / -	85,000 / -	
21.	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	45,00,000 / -	45,00,000 / -	41,68,941 / -	3,31,059 / -	
22.	30-आतिथ्य व्यय	1,00,000 / -	1,00,000 / -	17,029 / -	82,971 / -	
23.	42- अन्य विभागीय व्यय	2,00,000 / -	2,00,000 / -	19,093 / -	1,80,907 / -	
24.	51-अनुरक्षण	26,00,000 / -	26,00,000 / -	23,59,000 / -	2,41,000 / -	
25.	52-लघु निर्माण	2,50,000 / -	2,50,000 / -	-	2,50,000 / -	
	कुल योग:	₹ 15,04,44,000 / -	₹ 15,02,43,000 / -	₹ 9,88,55,681 / -	₹ 5,13,87,319 / -	

तैयारकर्ता:-

Lalith Bishu
ललित बिष्ट
वरिष्ठ सहायक, लेखा अनुभाग

जॉचकर्ता:-

Vineet Kumar
विनीत कुमार
प्रधान सहायक, लेखा अनुभाग



कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 (आय-व्यय विवरण) बजट समर्पण प्रपत्र

2014 - न्याय प्रशासन - 00 - आयोजनेत्तर - 800 - अन्य व्यय - 10 - स्थाई लोक अदालतें अन्तर्गत, उत्तराखण्ड।

क्र०सं०	शीर्षक/मानक मद	कुल प्राविधानित धनराशि	शासन स्तर द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि	कुल व्ययित धनराशि	समर्पित धनराशि	बजट समर्पण आई०डी०
1.	01-वेतन	2,98,00,000/-	2,98,00,000/-	51,62,932/-	2,46,37,068/-	आवंटन आई.डी.- HS25030040006 दिनांक: 28.03.2025
2.	02-मजदूरी	1,00,000/-	1,00,000/-	20,754/-	79,246/-	
3.	03-महंगाई भत्ता	1,66,88,000/-	1,66,88,000/-	27,50,476/-	1,39,37,524/-	
4.	04-यात्रा व्यय	5,00,000/-	5,00,000/-	2,74,957/-	2,25,043/-	
5.	06-अन्य भत्ते	74,50,000/-	74,50,000/-	38,93,963/-	35,56,037/-	
6.	07-मानदेय	1,00,000/-	1,00,000/-	-	1,00,000/-	
7.	08-पारिश्रमिक	80,00,000/-	80,00,000/-	59,95,156/-	20,04,844/-	
8.	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,50,000/-	1,50,000/-	-	1,50,000/-	
9.	10-प्रशिक्षण व्यय	1,00,000/-	1,00,000/-	-	1,00,000/-	
10.	11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	7,00,000/-	7,00,000/-	2,38,265/-	4,61,735/-	
11.	13- उपाजित अवकाश नकदीकरण	1,000/-	-	-	-	
12.	20-लेखन सामग्री एवं छपायी	4,00,000/-	4,00,000/-	60,202/-	3,39,798/-	
13.	21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000/-	5,00,000/-	45,110/-	4,54,890/-	
14.	22-कार्यालय व्यय	3,00,000/-	3,00,000/-	74,000/-	2,26,000/-	
15.	23-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2,00,000/-	2,00,000/-	-	2,00,000/-	
16.	24-विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	3,00,000/-	3,00,000/-	1,180/-	2,98,820/-	
17.	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	3,50,000/-	3,50,000/-	45,327/-	3,04,673/-	
18.	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर व अनुरक्षण	4,00,000/-	4,00,000/-	2,19,841/-	1,80,159/-	
19.	27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	43,00,000/-	43,00,000/-	32,00,180/-	10,99,820/-	
20.	28-कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	-	-	-	-	
21.	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	5,00,000/-	5,00,000/-	-	5,00,000/-	
22.	30-आतिथ्य व्यय	1,00,000/-	1,00,000/-	1,430/-	98,570/-	
23.	42- अन्य विभागीय व्यय	2,00,000/-	2,00,000/-	-	2,00,000/-	
24.	51-अनुरक्षण	2,00,000/-	2,00,000/-	-	2,00,000/-	
25.	52-लघु निर्माण	2,00,000/-	2,00,000/-	-	2,00,000/-	
	कुल योग:	₹ 7,15,39,000/-	₹ 7,15,38,000/-	₹ 2,19,83,773/-	₹ 4,95,54,227/-	

तैयारकर्ता:-

Lalit Bisht
ललित बिष्ट
वरिष्ठ सहायक, लेखा अनुभाग

जाँचकर्ता:-

Vineet Kumar
विनीत कुमार
प्रधान सहायक, लेखा अनुभाग



उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना-2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से कार्यालय राज्य प्राधिकरण, नैनीताल को प्राप्त धनराशि का आय-व्यय, अवशेष विवरण।

क्र०सं०	आवंटित धनराशि	01.04.2024 से 31.03.2025 तक व्यय धनराशि	31.03.2025 को अवशेष धनराशि जो पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून को समर्पित की जा चुकी है
1.	₹ 2,07,00,000 /—	₹ 1,27,25,000 /—	₹ 79,75,000 /—

तैयारकर्ता एवं जाँचकर्ता:-

Lalibisw
वरिष्ठ सहायक, लेखा अनुभाग

Vineet Kumar
प्रधान सहायक, लेखा अनुभाग



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL
Financial Year 2024-2025

5

Head wise details of Budget allocated by NALSA, New Delhi to UKSLSA, Nainital for different schemes/plans/programmes

S.N.	Head Name	Total funds Carry forwarded/ Allocated by NALSA	Expenditure of Budget of SLSA till 31.03.2025	Expenditure of Budget of DLSAs & HCLSC till 31.03.2025	Total Expenditure off DLSAs, HCLSC & SLSA till 31.03.2025	Total Balance of Budget with SLSA, DLSAs & HCLSC, as on 31.03.2025 in Account of NALSA Fund
1	2	3	4	5	6	7
1-	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987. (The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) (Carry forwarded) 2023-24	1,77,64,682.41	9,54,820.00	1,52,91,270.00	1,62,46,090.00	15,18,592.41
2-	Implementation of Legal Aid Defense Counsel Schemes (LADCS) New Allocation (Under TSA Module)	2,70,00,000.00	—	2,29,49,014.00	2,29,49,014.00	40,50,986.00
3-	Purpose of implementation of all the schemes and regulations framed under various provisions of the said act, 1987. (The utilization of funds by the State Authority under different schemes/programmes has been left to the discretion of the Hon'ble Executive Chairman of the SLSA) New Allocation (Under TSA Module)	4,27,00,000.00	—	3,74,90,756.00	3,74,90,756.00	52,09,244.00
	Total:	₹ 8,74,64,682.41	₹ 9,54,820.00	₹ 7,57,31,040.00	₹ 7,66,85,860.00	₹ 1,07,78,882.41

Prepared and Checked by:

Lalish
Senior Assistant, Account Section

Vineet Kumar
Head Assistant, Account Section



कार्यालय, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

⑥

वित्तीय वर्ष 2024-2025

कॉस्ट की धनराशि का विवरण

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के पास कॉस्ट का प्रारम्भिक अवशेष अर्थात् 01.04.2024 को उपलब्ध कॉस्ट की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01.04.2024 से 31.03.2025 तक विभिन्न वादों में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्राप्त कॉस्ट की धनराशि।	वित्तीय वर्ष 2024-25 में 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का कुल व्यय	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31.03.2025 को उपलब्ध कॉस्ट की धनराशि
1.	₹ 79,62,893.00	₹ 14,71,100.00	₹ 2,31,000.00	₹ 92,02,993.00

तैयारकर्ता एवं जॉचकर्ता:-

Lalit Singh

वरिष्ठ सहायक, लेखा अनुभाग

Vineet Kumar

प्रधान सहायक, लेखा अनुभाग

